न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 52/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 03.06.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

दीपचन्द पुत्र श्री मुतबन्ना हरनारायण जाति जाटव, निवासी देहरी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

1. तुलसा बाई पत्नि भवानीशंकर जाति जाटव, निवासी देहरी, तहसील छबड़ा, जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 149/2021 (रजिस्ट्रेशन संख्या 2021/170) बउनवान दीपचन्द बनाम तुलसा वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या भू–अभिलेख/पुनर्विलोकन/2021/86(2)एसपी1 दिनांक 25.06.2021 के द्वारा पूर्व के प्रकरण में पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 86 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् नामांतरकरण संख्या 589 दिनांक 12.03.2021 खाता संख्या नया 49 एवं खाता संख्या नया 48 ग्राम देहरी तहसील छबड़ा एवं नामांतरकरण संख्या 429 दिनांक 12.03.2021 खाता संख्या नया 36 ग्राम उदपुरिया तहसील छबड़ा, जिला बारां में विवेचन करते हुए कि "दिनांक 12.03.2021 को माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का यथास्थिति का स्थगन आदेश प्रभावी था एवं उक्त दोनों इंतकाल तथ्यों की सही

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्वीकृत किये गये थे।" इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार छबड़ा के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86(2) के अन्तर्गत इंतकाल संख्या 429 ग्राम उदपुरिया एवं इंतकाल संख्या 589 ग्राम देहरी को खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 25.06.2021 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां को अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, छबड़ा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2021 उचित होना प्रकट करते हुए निर्णय दिनांक 05.04.2022 से अपील खारिज की गई।

2 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 05.04.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय छबड़ा में एक वाद संख्या 203/2007 बउनवान दीपचन्द बनाम चन्द्री बाई विचाराधीन था, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा दिनांक 12.01.2021 को अपीलार्थी के पक्ष में वाद डिक्री करते हुये निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार छबड़ा द्वारा ग्राम देहरी की आराजी का इन्तकाल संख्या 589 एवं ग्राम उदपुरिया की आराजी का इन्तकाल संख्या 429 दिनांक 12.03.2021 को तस्दीक किया गया। परन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा न्यायालय तहसीलदार छबड़ा के यहां दिनांक 06.04.2021 को एक पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार छबड़ा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करते हुये नामान्तकरण संख्या 429 एवं 589 खारिज कर दिया। जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील निर्णय दिनांक 05.04.2022 से खारिज की गई। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा विचाराधीन वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित करने के पश्चात ही अपील समय–सीमा समाप्त होने पर निर्णय की पालना में इंतकाल संख्या 429 एवं 589 तस्दीक किये गये थे, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा केवल मात्र पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 429 एवं 589 को निरस्त कर दिया जबकि उक्त इंतकाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्णय एवं डिक्री की पालना में निरस्त किये गये थे। परन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय छबड़ा द्वारा अपीलाधीन इंतकाल खारिज करने में गंभीर कानुनी त्रुटि करते हुये निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बांरा द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय छबडा के तथ्यों को दोहराते हुये

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

फौरी तौर पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमा दी गई, जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा अपनी और से सम्पूर्ण साक्ष्य एवं न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना अपना निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, इस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया की अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय व डिक्री की पालना में इंतकाल तस्दीक किये जाने के पश्चात पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल खारिज किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही था, और ना ही उक्त इंतकाल निरस्त किये जा सकते थे, परन्तुं फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाये जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे नियत तारीख पेशी दिनांक 10.03.2025, दिनांक 24.03.2025 एवं दिनांक 12.05.2025 को रेस्पो0 क्र. 1 अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा विचाराधीन वाद में निर्णय एवं डिकी पारित करने के पश्चात ही अपील समय–सीमा समाप्त होने पर निर्णय की पालना में इंतकाल संख्या 429 एवं 589 तस्दीक किये गये थे, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा केवल मात्र पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 429 एवं 589 को निरस्त कर दिया। रेस्पो0 क्र.1 का स्वयं का यह दायित्व था कि यदि उसे न्यायालय से स्थगन प्राप्त था जो राजस्व नियमों के अन्तर्गत उक्त स्थगन का अकन जमाबंदी पर करवाया चाहिए था और उस समय पर स्थगन की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय व डिक्री की पालना में इंतकाल तस्दीक किये जाने के पश्चात पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल खारिज किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही था, और ना ही उक्त इंतकाल निरस्त किये जा सकते थे, परन्तु फिर भी योग्य

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की हैं। ऐसी स्थिति में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाये जावे।

5 प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर अपील में जानबूझकर विलम्ब नहीं होना वर्णित करते हुए अपील में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र के सबंध में न्यायहित विलम्ब की अवधि को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पर एकपक्षीय मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या भू–अभिलेख/पुनर्विलोकन/2021/86(2)एसपी1 दिनांक 25.06.2021 के द्वारा पूर्व के प्रकरण में पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 86 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् नामांतरकरण संख्या 589 दिनांक 12.03.2021 खाता संख्या नया 49 एवं खाता संख्या नया 48 ग्राम देहरी तहसील छबड़ा एवं नामांतरकरण संख्या 429 दिनांक 12.03.2021 खाता संख्या नया 36 ग्राम उदपुरिया तहसील छबड़ा, जिला बारां में विवेचन करते हुए कि "दिनांक 12.03.2021 को माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का यथास्थिति का स्थगन आदेश प्रभावी था एवं उक्त दोनों इंतकाल तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्वीकृत किये गये थे।" इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार छबड़ा के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86(2) के अन्तर्गत इंतकाल संख्या 429 ग्राम उदपुरिया एवं इंतकाल संख्या 589 ग्राम देहरी को खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 25.06.2021 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां को अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, छबड़ा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2021 उचित होना प्रकट करते हुए निर्णय दिनांक 05.04.2022 से अपील खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायलय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2021 की पालना में इंतकाल तस्दीक किये जाने के पश्चात पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल खारिज किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही था और ना ही उक्त इंतकाल निरस्त किये जा सकते थे, परन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 203/2007 दावा बउनवान दीपचन्द बनाम चंद्रीबाई वगे0 में दिनांक 12.01.2021 को निर्णय पारित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, छबड़ा दिनांक 12.03.2021 को नामांतकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके उपरांत तहसीलदार छबड़ा के समक्ष दिनांक 06.04.2021 को तुलसा बाई पुत्री हरनारायण द्वारा प्रार्थना–पत्र मय फर्द दस्तावेज न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के यथास्थिति के स्थगन आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने पर सुनवाई हेतु पक्षकारान को सम्मन जारी करने पर अपीलार्थी दीपचन्द जरिये अभिभाषक वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र उपस्थित होना वर्णित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार छबड़ा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.06.2021 स्पष्ट किया गया है कि पटवारी चाचौडा द्वारा इंतकाल संख्या 429 गाम उदपुरिया एवं इंतकाल संख्या 589 ग्राम देहरी को न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) छबड़ा के समक्ष दिनांक 12.03.2021 को पेश किये गये, तत्समय माननीय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के स्थगन आदेश की जानकारी न्यायालय तहसीलदार (भू0अभि0) को नहीं थी, इसलिए न्यायालय तहसीलदार द्वारा तस्दीक करके नामांतकरण स्वीकार कर लिया गया। चूंकि दिनांक 12.03.2021 को माननीय न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का यथास्थिति का स्थगन आदेश प्रभावी था। इस कारण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86(2) में उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 25.06.2021 पारित किया जाना प्रकट किया गया। इस प्रकार स्वीकृत नामांतरकरण के विरूद्ध उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अंदर मियाद होना प्रकट होता है। साथ ही न्यायालय तहसीलदार छबड़ा के द्वारा सुनवाई हेतु उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। चूंकि तत्समय अपर न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का स्थगन आदेश प्रभावी था, ऐसी स्थिति में न्यायालय तहसीलदार छबड़ा के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के द्वारा भी प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तथा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर पूर्ण विवेचन के साथ निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 05.04.2022 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा